

16

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

No.86//Sec(E)/TR-1/1

New Delhi, dt.30.5.96

Standing Order No. 5 /96.

The Chief Security Commissioner/RPF,  
All Indian Railways.

The Chief Security Commissioner/RPSF,  
Railway Board, New Delhi.


Sub:- Posting of young directly recruited  
gazetted officeres in RPF.

It has been decided that henceforth all directly recruited gazetted officers and those recruited as S.I.s., on their first appointment subject to the vacancies should be posted to difficult/heavy Railway, which provide them better opportunity to learn the complex working of Railway network and indepth working knowledge specially relating to prevention and detection of crime against Railway property.

The initial tenure will be for a period of five years. During this period they will also be given exposure to the working and functioning of RPSF Battalions for atleast two years to understand special features and working of Armed Battalions.

On completion of their hard posting, they may be considered for posting to other lighter Railways.

Please inform the concerned and acknowledge receipt.

  
(JOGINDER SINGH)  
Director General/RPF  
Railway Board

Copy to DSCs./RPF/All Rlys.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 86/सि.क.ई/टी आर/1/रफ

नई दिल्ली, दिनांक . 5. 96

स्थायी तैनाती सं. 5/96

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. व. ,  
सभी भारतीय रेलें.

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. वि. व. ,  
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.

विषय :- रे. सु. व. में सीधे भर्ती हुए युवा राजपत्रित  
अधिकारियों को तैनाती.

=====

यह विनिश्चय किया गया है कि उन ले सभी सीधे भर्ती हुए राजपत्रित अधिकारियों एवं सब इंस्पेक्टरों के रूप में भर्ती हुए अधिकारियों को, रिक्तियों के अध्वधीन उनको प्रथम नियुक्ति पर कठिन/गड़ी रेल पर तैनात किया जाए जिससे उन्हें रेल नेटवर्क की जटिल कार्यप्रणाली तथा गहन कार्यप्रणाली का ज्ञान विद्यमान रेल सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध का निवारण करने तथा उनका पता लगाने से संबंधित कार्य को सीखने का उत्तम अवसर प्राप्त हो सके.

आरंभिक कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि का होगा. इस अवधि के दौरान सहायक गटालियनों को विशेषतः एवं कार्यप्रणाली को समझने के लिए कम से कम दो वर्ष के लिए रे. सु. वि. व. को गटालियनों के कार्यप्रणाली एवं कार्य को जानकारी भी दी जागी.

अपनी कठिन प्रकृति को तैनाती के पूरा किये जाने पर वे अन्य छोटे रेलों पर तैनात किये जाने हेतु विचार किये जाएंगे.

कृपया संबंधितों को सूचित किया जाए तथा पावती दें.

Sd/-

(जोगिन्दर सिंह)  
सहायक / रे. सु. व. ,  
रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित :- सभी उप सुरक्षा आयुक्त.

रे. सु. आयुक्त सूचित करें कि यह पत्र उनकी रेल के